हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>मि0नं0 699/दावा/2018 बदरीबाई वनाम बाबूलाल</u>

<u>04/09/2018</u>

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित है। भू अभिलेख निरीक्षक वृत दहीखेड़ा ने रिपोर्ट की है कि वादनी ने ग्राम केथूनी के माल की खाता सं0 87 की ख0नं0 210 रकवा 22.07 बीघा में से अपने 1/4 हिस्से का बैचान दिनांक 08.05.18 को जर्ये रजिस्टर्ड बैनामें से श्री राजाराम पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी डोबड़ा को कर दिया है। इस प्रकार वादनी द्वारा अपने हिस्से का बैचान कर दिये जाने से अब डिकी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना है या नहीं मार्गदर्शन प्रदान करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादनी का वाद, विभाजन का है तथा भू अभिलेख निरीक्षक दहीखेड़ा की रिपोर्ट के अनुसार वादनी वादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से का बैचान कर चुकी है। अधिवक्ता वादी ने भी वाद पर नो इन्स्ट्रक्शन किया है। चूँकि वादनी अपने हिस्से का बैचान कर चुकी है। ऐसे में अब वादनी का विभाजन का यह वाद चलने योग्य नहीं है।

अतः वाद, वादी चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]
[illegible] अधिकारी
[illegible] ([illegible])

Scanned by CamScanner